प्राक्कथन

डीएमआरसी द्वारा 'चरण-III दिल्ली मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम के कार्यान्वयन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को भारत सरकार, दिल्ली सरकार को भेजने के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के प्रावधानों के अन्तर्गत तैयार किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 (अगस्त 2020 में संशोधित) और निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश, 2014 के अनुसार लेखापरीक्षा की गयी है।

लेखापरीक्षा में 2011-12 से 2019-20 तक की अवधि को शामिल किया गया है। इस प्रतिवेदन में अप्रैल 2011 से मार्च 2020 तक की अवधि के लिए चरण-III परियोजना के कॉरिडोरों की आयोजना, कार्यान्वयन, निगरानी और परिचालन एवं रखरखाव और गतिविधियों के परिणाम की जांच की गयी है।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए तकनीकी सलाहकार (आईआईटी दिल्ली) द्वारा प्रदान की गयी सहायता और डीएमआरसी, आवासन एव शहरी कार्य मंत्रालय और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकारियों और स्टाफ द्वारा दिए गए सहयोग के लिए लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करती है।